

Not correct
Replaced with
a new one.

गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य
की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार ।

भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य की सरकार (इसके पश्चात् दोनों सांविदाकारी पत्रकार कहा जाएगा) घान छतर सम्बन्ध स्थापित करने तथा विकसित करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर प्रेस और प्रकाशन, प्रसारण, फिल्म और टेलीविजन सहित कला, संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, खेल और जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच हर सम्भव उपाय से सम्बन्धों और सद्भावना को प्रोन्नत करने तथा विकसित करने की इच्छा से निम्नलिखित करार सम्पन्न करने के लिए सहमत हुई है ।

अनुच्छेद 1

दोनों सांविदाकारी पत्रकार, समानता और आस्सी लाभ के सिद्धान्तों के अनुसार दोनों देशों के बीच कला और संस्कृति, शिक्षा, खेल, जन स्वास्थ्य, प्रेस और प्रकाशन, प्रसारण, फिल्म तथा टेलीविजन के क्षेत्रों में आदान-प्रदान तथा सहयोग को प्रोन्नत और प्रोत्साहित करने के लिए सहमत हुए हैं ताकि इन क्षेत्रों में एक दूसरे के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने में योगदान कर सकें ।

अनुच्छेद 2

दोनों सांविदाकारी पत्रकार निम्नलिखित के माध्यम से कला, संस्कृति और शास्त्रीय ज्ञान के क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे तथा बढ़ावा देंगे
क: लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों और अध्येताओं के दौरों का आदान-प्रदान ;
ख: प्रदर्शन कला मण्डालियों के दौरों का आदान-प्रदान ;

ग: कला और संस्कृत पर पारस्परिक प्रदर्शनियां ;

घ: शासकीय और सांस्कृतिक तथा शिष्ट मण्डलों का आदान-प्रदान ।

अनुच्छेद 3

दोनों सांविदाकारी पक्षकार शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदानों तथा सहयोग का निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर सहमत हुए हैं :

क: दूसरे देश के छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन और अनुसंधान के लिए आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुसार छात्रवृत्तियां और सुविधाएं प्रदान करना ;

ख: व्याख्यान देने , अध्ययन दौरे करने तथा विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के दौरों का आदान-प्रदान करना ;

ग: अपने-अपने देश में होने वाली अन्तरराष्ट्रीय शैक्षणिक बैठकों में दूसरे देश के अध्येताओं अथवा विशेषज्ञों द्वारा भाग लेने को प्रोत्साहित करना तथा सुकर बनाना ;

घ: शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों, सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रकाशनों का आदान-प्रदान करना ;

ङ: आवश्यकताओं तथा सम्भावनाओं के अनुसार अध्ययन दौरों के लिए शिक्षण क्षेत्र के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान करना ;

च: एक दूसरे के देश में उन स्थितियों का परीक्षण करना जिनके अन्तर्गत शिक्षण व अन्य संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा डिप्लोमा , प्रमाणपत्र व डिग्रीयां प्रदान की जाती हैं ।

अनुच्छेद 4

दोनों सांविदाकारी पक्षकार एक दूसरे के देश के साहित्य और कला की उत्कृष्ट कृतियों

के अनुवाद तथा प्रकाशन और संस्कृति, साहित्य तथा कला पर पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य सामग्री के आदान-प्रदान पर सहमत हुए हैं।

अनुच्छेद 5

दोनों संविदाकारी पक्षकार रेडियो, टेलीविजन और प्रेस के माध्यम से एक-दूसरे के देश की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री और कार्यक्रमों तथा चर्चात्र के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे और एक दूसरे के अन्तरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भाग लेंगे।

अनुच्छेद 6

दोनों संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के खेल संगठनों के बीच संबंधों और सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए सहमत हुए हैं। वे आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुसार एक-दूसरे के देश को मैत्री-दौड़ों, प्रतियोगिताओं और तकनीकों के आदान-प्रदान के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल टीमों को भेजेंगे। दोनों देशों के खेल संगठनों द्वारा ठोस शर्तों पर विचार-विमर्श करके उनके सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा।

अनुच्छेद 7

दोनों संविदाकारी पक्षकार औषधि और जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं।

अनुच्छेद 8

दोनों संविदाकारी पक्षकार समाज विज्ञानों के क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग के लिए सहमत हुए हैं।

अनुच्छेद 9

दोनों संविदाकारी पक्षकार खुदाई , पुरातत्वोय खोज से प्राप्त सामग्री के परिचालन और प्रदर्शन , प्रशिक्षण तथा पारस्परिक सहमति से निश्चित किए जाने वाले अन्य क्षेत्रों में अनुभव बांटने की दृष्टि से पुरातत्ववेत्ताओं के दौरो के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे और सुलभ बनाएंगे ।

अनुच्छेद 10

दोनों संविदाकारी पक्षकार वर्तमान करार के कार्यान्वयन की दृष्टि से समय समय पर पारस्परिक सहमति से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम तैयार करेंगे, जो सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे ।

अनुच्छेद 11

दोनों संविदाकारी पक्षकार वर्तमान करार को पारस्परिक सहमति से परिवर्तित या संशोधित कर सकेंगे ।

अनुच्छेद 12

वर्तमान करार उस तिथि से प्रभावशील होगा जिसपर दोनों संविदाकारी पक्षकार अपनी अपनी वैधानिक कार्यवाहियां सम्पूर्ण होने की सूचना एक-दूसरे को देंगे ।

वर्तमान करार पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और हर बार अगले पांच (5) वर्षों के लिए तब तक इसका स्वतः नवीकरण होता रहेगा जब तक कि कोई एक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार को समाप्त करने के अपने आग्रह की लिखित रूप से कृ: (6) माह पहले सूचना न दे दे ।

पेरिचड में शक 1910 के ज्येष्ठ माह के सातवें दिन तदनुसार 1988 ईस्वी सन् के मई माह
को 28 तारीख के दिन हिन्दी , चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में
किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे ।

भारत गणराज्य को

सरकार को ओर से

Indrakumar

चीन जनवादी गणराज्य

को सरकार को ओर से

劉志和

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the two Contracting Parties), inspired by a common desire to establish and develop closer relations, and desirous of promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and China in the realms of culture and art, education, social sciences, sports, public health, press and publishing, broadcasting, film and television, have agreed to conclude the Present Agreement.

Article 1

The two Contracting Parties have agreed, in accordance with the principles of equality and mutual benefit, to promote and encourage exchanges as well as cooperation between the two countries in the fields of culture and art, education, sports, public health, press and publication, broadcasting, film and television in order to contribute towards a better understanding of each other in these fields.

Article 2

The two Contracting Parties shall encourage and promote exchanges and cooperation in the field of art, culture and classical studies through :

- a) exchange visits of writers, artists, specialists and scholars;
- b) exchange visits of performing art troupes;
- c) reciprocal exhibitions on culture and art; and
- d) exchange of official and cultural delegations.

Article 3

The two Contracting Parties have agreed to undertake the following programme of exchanges and cooperation in the field of education:

- a) grant scholarships and facilities to students of the other country to study and research in its institutions of higher education in accordance with needs and possibilities;
- b) exchange visits of professors and specialists for delivering lectures, carrying out study tours and conducting special courses;
- c) encourage and facilitate the attendance by scholars or specialists of the other country at international academic meetings held in its country;
- d) exchange books, materials and other publications in the field of education;
- e) exchange education delegations for study tours in accordance with needs and possibilities; and
- f) examine the conditions of each other's country under which the diplomas, certificates and university degrees are awarded by educational and other institutions.

Article 4

The two Contracting Parties have agreed to translate and publish outstanding works of literature and art of each other's country, and exchange books, periodicals and other materials on culture, literature and art.

Article 5

The two Contracting Parties shall endeavour to present different facets of the culture of each other's country through media of radio, television and the press. With this end in view, the two Parties shall exchange suitable materials and programmes, as well as experts in the field of cinematography and participate in each other's international film festivals.

.....3/-

Article 6

The two Contracting Parties have agreed to strengthen contacts and cooperation between the sports organisations of the two countries. They shall send, in accordance with needs and possibilities, athletes, coaches and sports teams to each other's country for friendly visits, competitions and exchange of techniques. Concrete items shall be discussed and decided by the sports organisations of the two countries.

Article 7

The two Contracting Parties have agreed to exchange experience in the fields of medicine and public health.

Article 8

The two Contracting Parties have agreed to conduct exchanges and cooperation in the field of social sciences.

Article 9

The two Contracting Parties shall encourage and facilitate exchange visits of archaeologists with a view to promote sharing of experience in excavation, preservation and display of archaeological finds, training and such other areas as may be mutually agreed upon.

Article 10

With a view to implementing the present Agreement, the two Contracting Parties will periodically formulate mutually agreed Cultural Exchange Programmes, which shall ordinarily be for a period of two years.

Article 11

The two Contracting Parties may modify or amend this Agreement by mutual consent.

.....4/-


Article 12

The present Agreement shall enter into force on the date on which the two Contracting Parties notify each other of the completion of their respective legal procedures.

The present Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, and shall be renewed automatically, thereafter for further periods of five (5) years each, until either Contracting Party gives to the other a six (6) months prior notice in writing of its intention to terminate it.

Done in duplicate in Beijing on this twenty-eighth day of May, Nineteen hundred and eightyeight, in Hindi, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic.

For the Government of
the Republic of India



For the Government of
the People's Republic of China

